उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

रिट याचिका (प्रकीर्ण वाद) संख्या- 98/2022

पूनम तिवारी .....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य .....प्रत्यर्थीगण के साथ

2022 की सिविल अवमानना याचिका संख्या 301

पूनम तिवारी .....याचिकाकर्ता

-बनाम-

दीपेंद्र कुमार चौधरी आदि

.....प्रत्यर्थीगण

उपस्थितः याचिकाकर्तागण की और से श्री के. पी. उपाध्याय, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संदीप कोठारी की सहायता हेतु
राज्य की और से श्री एस. एन. बाबुलकर, एडवोकेट जनरल के साथ श्री सी. एस. रावत, मुख्य स्थायी अधिवक्ता ।

सुनवाई और आदेश की तिथिः 16. 12. 2022

न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार मिश्रा ।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया हैः -

1. इस रिट याचिका को दायर करके, याचिकाकर्ता, जो पौड़ी गढ़वाल जिले में नगर पंचायत, श्रीनगर के अध्यक्ष हैं, ने निम्नलिखित अनुतोष हेतु प्रार्थना की है

   क. प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा जारी दिनांक 31. 12. 2021 की आक्षेपित अधिसूचना अभिखंडित करने और अभिलेख मंगाने के लिए रिट, आदेश या निर्देश उत्प्रेषण की प्रकृति में जारी करें, जिसके अधीन 21 ग्रामीणों को नगर पालिका परिषद, श्रीनगर गढ़वाल, जिला पौड़ी गढ़वाल की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर सम्मिलित किया गया है।अनुलग्नक संख्या 13 के रूप में दर्ज ।

   ख. प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा जारी दिनांक 03. 01. 2022 के आदेश को अभिखंडित करने के लिए उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसके अधीन नगर पालिका

परिषद, श्रीनगर गढ़वाल, जिला – पौड़ी गढ़वाल को भंग कर दिया गया है और नगर निगम श्रीनगर गढ़वाल के गठन तक, जिला मजिस्ट्रेट, पौड़ी गढ़वाल को प्रशासक नियुक्त किया गया है। अनुलग्नक संख्या 14 दर्ज ।

ग. कोई उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों अनुसार उचित समझे।

घ. याचिका की खर्च का आदेश याचिकाकर्ता के पक्ष में किया जाय।

2. मामले के तथ्यों को निम्नानुसार अभिकथित किया जा सकता हैः-

3. नगर पारलिका परिषद, श्रीनगर, गढ़वाल, एक पुरानी नगर पालिका है। उत्तराखंड राज्यर बनने के बाद नगर पालिका परिषद, श्रीनगर गढ़वाल (इसके बाद "नगर पालिका" के रूप में संदर्भित) को वर्ष 2007 में पुनर्गठित / परिसीमन किया गया था।

4. दिनांक 06.08.2018 को नगर पालिका परिषद, श्रीनगर गढ़वाल का पुनः परिसीमन/ पुनर्गठन किया गया।

5. दिनांक 10.07.2019 को उपरोक्त पुनरीक्षण के आधार पर, चुनाव आयोजित किए गए और याचिकाकर्ता को "नगर पालिका परिषद, श्रीनगर गढ़वाल" के अध्यक्ष के रूप में चुना गया।

6. याचिकाकर्ता द्वारा कहा गया है, दिनांक 10.07.2019 को, वर्तमान कार्यकारिणी ने एक घोषणा की कि श्रीनगर शहर, नगर पालिका की क्षेत्रीय सीमा को गांव – बिल कैदर और नकोट तक बढ़ाया जाएगा।

7. दिसंबर 2020 में कार्यकारिणी द्वारा यह घोषणा की गई थी कि नगर पालिका को नगर निगम के रूप में स्तरोन्नत किया जाएगा। याचिकाकर्ता द्वारा कहा गया है कि यह स्थानीय विधायक प्रत्यर्थी संख्या 4 के कहने पर किया गया था जिससे यह नगर पालिका के पदों में प्रारंभ में चुने गए व्यक्तियों को पद से हटाने के अवसर के रूप में लेगा। याचिकाकर्ता का दावा है कि उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिसका उत्तराखंड राज्य उस समय एक हिस्सा था, दिनांक 10.09.1986 को जारी किया गया शासनादेश, अभी भी प्रासंगिक है

और विशेष रूप से, जब प्रमाण पत्र अर्थात अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि शासनादेश दिनांक 10.09.1986 में उल्लिखित जब कोई ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र की कुछ विशेषताओं या विलक्षणों को धारण करता है अर्थात एक ग्रामीण क्षेत्र से एक छोटे शहरी क्षेत्र और फिर एक बड़े शहरी क्षेत्र तक धारण करता है तो संक्रमणकालीन स्थानांतरण होगा, वर्तमान श्रेणी में, याचिकाकर्ता प्रस्तुत करेगा कि ग्रामीण क्षेत्र को शहरी क्षेत्र से बड़े क्षेत्र के रूप में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है और कम से कम ग्रामीण क्षेत्र के सिद्धांत जो कि पूर्वोक्त आदेश दिनांक 10/09/1986 में प्रासंगिक हैं। ।

8. दिनांक 08-10 -2010 को उत्तराखंड राज्य ने संक्रमणकालीन, छोटे शहरी क्षेत्र और बड़े शहरी क्षेत्र के लिए जनसंख्या मानदंड बताते हुए समतिथि का अग्रतर शासनादेश जारी किया। उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार श्रेणी-4 की नगर पालिका परिषद की 25,000 की जनसंख्या तक, श्रेणी-3 की नगर पालिका परिषद की जनसंख्या 35,000 तक की जनसंख्या, श्रेणी-2 की नगर पालिका परिषद की 50,000 की जनसंख्या तक तथा श्रेणी -1 की नगर पालिका परिषद की 50,000 से 1 लाख तक की जनसँख्या। यह दावा किया जाता है कि जब ऐसी जनसंख्या 1 लाख की सीमा पार कर जाएगी, तभी इतने बड़े शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम का गठन किया जाएगा और यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि श्रीनगर के नगर पालिका परिषद की स्थिति नगर पालिका परिषद श्रेणी - 2 होनी चाहिए थी।

9. दिनांक 04.09.2021 को, उपरोक्त अधिसूचना को जारी रखते हुए, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पौड़ी गढ़वाल ने पौड़ी गढ़वाल जिले में खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक - खिरशु से जानकारी मांगी। इस विशेष ब्लॉक - खिरशू के ग्रामीण क्षेत्र को नगर पालिका परिषद, श्रीनगर, पौडी गढ़वाल की क्षेत्रीय सीमा के भीतर सम्मिलित करने पर विचार किया जा रहा था। यह आरोप लगाया गया है कि कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, श्रीनगर गढ़वाल ने मामले को बोर्ड के समक्ष रखे बिना, राज्य सरकार के कार्यालय के आदेश पर, प्रत्यर्थी संख्या 4 के प्रभाव में थे। दिनांक 04.09.2021 को जिलाधिकारी, पौडी गढ़वाल को एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें प्रस्तावित है कि 4462 की आबादी वाले 21 गांव

जिनका कुल क्षेत्रफल 1244.055 वर्ग किमी है सम्मिलित किया जाए।

10. इसी क्रम में 31.01.2013 को राज्य सरकार ने पूर्व शासनादेश में संशोधन किया है और इस संशोधन के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि नगर निगम का गठन 90,000 से अधिक की जनसंख्या पर किया जायेगा। प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव के आधार पर शहरी विकास विभाग द्वारा दिनांक 28.10.2021 को एक प्रारूप अधिसूचना जारी की गई, जिसमें प्रस्तावित किया गया है कि गांवों को नगर पालिका परिषद, श्रीनगर गढ़वाल की सीमा के भीतर सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है और आगे पूरे ऐसे सामूहिक क्षेत्र को श्रीनगर स्थापित करने के लिए नगर निगम के रूप में उन्नत किया जाना है। अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से सात दिनों के भीतर आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। जिलाधिकारी, पौडी गढ़वाल को निर्देशित किया गया कि शासनादेश दिनांक 10.09.1986 में किये गये प्राविधानों एवं शासनादेश दिनांक 08.10.2010 के अन्तर्गत एक उचित समिति का गठन कर आपत्तियों की सुनवाई कर रिपोर्ट एवं संस्तुतियां सरकार को प्रस्तुत किया जाए।

11. याचिकाकर्ता का अभिकथन है कि दुर्भावनापूर्ण अभ्यास में, प्रत्यर्थी प्राधिकारी इस तथ्य से और अधिक परिलक्षित होता है कि उपरोक्त प्रारूपिक अधिसूचना 30.10.2021 को समाचार पत्र में प्रकाशित की गई थी और मसौदा अधिसूचना में किए गए प्रावधानों के अनुसार, आपत्तियां 06.01. 2021 तक प्राप्त हुई थीं।

12. उपरोक्त मसौदा अधिसूचना के अनुसरण में, याचिकाकर्ता ने 10.03.2018 और 01.11.2021 को सरकारी आदेश के संदर्भ में गठित समिति के समक्ष आपत्तियां प्रस्तुत कीं। कई अन्य ग्रामीणों ने भी गठित समिति को अपनी आपत्तियां प्रस्तुत की हैं।

13. 31.12.2021 को अधिसूचना के आधार पर, नगर पालिका परिषद, श्रीनगर को नगर निगम में स्तरोन्नत किया गया।

14. 03.01.2022 को एक अन्य अधिसूचना जारी की गई, जिसके अंतर्गत नगर पालिका परिषद, श्रीनगर को नगर निगम के गठन तक भंग कर दिया गया और जिला मजिस्ट्रेट को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद, याचिकाकर्ता द्वारा उपरोक्त प्रार्थनाओं के साथ रिट याचिका दायर की गई है। अभिवचन का आदान-प्रदान किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 4 ने रिट आवेदन से अपना नाम हटाने के लिए एक आवेदन दायर किया है कि इस

आधार पर कि इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है क्योंकि वह उत्तराखंड राज्य के शहरी विकास मंत्री नहीं हैं और वह केवल निर्णय लेने वाले मंत्रिमंडल के सदस्य थे एक अनुपूरक शपथ पत्र और प्रत्युत्तर शपथ पत्र भी दायर किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 3 और 5 होने के नाते राज्य प्राधिकरणों ने अपने प्रति उत्तर शपथ पत्र में कहा है कि दिनांक 28.10.2021 की अधिसूचना यूपी नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार जारी की गई है जो इस राज्य पर लागू है और वर्ष 1994 में संशोधित है। इसके बाद, मामले पर निर्णय लेते समय, शासनादेश द्वारा विधिवत रूप से गठित समिति प्रत्यर्थी संख्या 5 की अध्यक्षता में 10.03.2018 ने अभ्यावेदन पर विचार किया और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की। राज्य सरकार ने अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए दिनांक 31.12.2021 को अंतिम अधिसूचना जारी की। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 3 (2) को भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-क्यू के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें क्षेत्र के समग्र विकास के उद्देश्य से 21 राजस्व गांवों को सम्मिलित करके नगर पालिका परिषद को नगर निगम, श्रीनगर में नवीकरण किया गया है।

15. सुनवाई के दौरान, प्रत्यर्थी प्राधिकरण की ओर से महाधिवक्ता प्रस्तुत किया कि यह निर्णय क्षेत्र के सतत विकास के लिए लिया गया था। यह भी प्रस्तुत किया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इसका अधिकांश हिस्सा पहाड़ियों से आच्छादित है और इसकी आबादी विरल है, उत्तसराखण्डड राज्यि को विशेष दर्जा प्राप्त् है एडवोकेट जनरल के अनुसार, ऐसे कई गांव हैं, जो भूतिया गांव बन गए हैं क्योंकि लोग उन गांवों में नहीं रह रहे हैं और यह भी निर्णय लेने का एक कारण है। वह आगे प्रस्तुत करते है कि अधिसूचना दिनांकित10.09.1986 इस न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ द्वारा ″नरेंद्र सिंह राणा बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य, 2016 (2) यू.डी., 275 के मामले में पारित इस न्यायालय के एक फैसले के आधार पर अब लागू नहीं है। उन्होंने इस न्यायालय का ध्यान नगर पालिका परिषद को नगर निगम में स्तरोन्नत करने के कारणों के संबंध में समिति द्वारा दिए गए विवरण के पृष्ठ 35 की ओर भी आकर्षित किया।

16. इस प्रकार, रिट याचिका की सुनवाई के समय उठाए गए तर्कों और प्रस्तुतियों के विश्लेषण पर, याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री

केपी उपाध्याय ने विनिश्चय के लिए निम्नलिखित तीन प्रश्न उठाए हैं: -

i. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि नगर पालिका को नगर निगम में स्तरोन्नत करने की पूरी कवायद याचिकाकर्ता को नगर पालिका के अध्यक्ष पद से हटाने के लिए शक्ति का दुर्भावनापूर्ण आशय की पूर्ति हेतु किया गया ।

ii. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उठाया गया दूसरा बिंदु यह है कि सरकारी आदेश द्वारा उल्लिखित जनसंख्या मानदंड का पूर्णतः उल्लंघन है और नवगठित नगर निगम की कुल आबादी 90,000 आबादी के सीमा से न्यूनतम हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या के घनत्व के अनुसार नहीं है।

iii. तीसरा, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया कि ***ऑडीअल्टरम पार्टम*** नियम के सिद्धांतों का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है और याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है, और इसलिए, आक्षेपित आदेश अभिखंडित किये जाने योग्य हैं ।

अंतिम प्रश्न को पहले लेते हुए, यह न्यायालय इस प्रश्न पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "राजस्थान राज्य बनाम अशोक खेतोलिया और अन्य, (2022) एससीसी ऑनलाइन एससी 295" मामले में सुनाए गए नवीनतम निर्णय पर विचार करता है। उक्त मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 28.04.2015 को पारित आदेश से उत्पन्न अपील पर सुनवाई कर रहे थे, जिसके अंतर्गत 12.08.2014 को ग्राम पंचायत रूपबास, जिला भरतपुर को नगरपालिका बोर्ड के रूप में घोषित करने वाली अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने पाया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू (2) के अंतर्गत कोई सार्वजनिक अधिसूचना तैयार नहीं की गई है जिसमें ग्राम पंचायत रूपबास को "पारंपरिक क्षेत्र" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है और इस प्रकार, इसे नगरपालिका बोर्ड के रूप में घोषित नहीं किया जा सकता है।

17. उक्त मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने संविधान में भाग IXA को सम्मिलित करते हुए संवैधानिक (74वां पुनरीक्षण) अधिनियम, 1992 के कथनों और उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया, जो 20-04-1993 को लागू किया गया।

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ″तुलसीपुर शुगर कंपनी लिमिटेड बनाम अधिसूचित क्षेत्र समिति, तुलसीपुर, (1980) 2 एससीसी 295, और ″सुंदरजस कन्यालाल भतीजा बनाम कलेक्टर, ठाणे, महाराष्ट्र, (1989) 3 एससीसी 396,″ मामले में दिए गए फैसले पर भी विचार किया और माना गया कि नगर निगम बोर्ड या नगर पालिका घोषित करने की शक्ति एक विधायी कार्य है जिसे माननीय राज्यपाल की ओर से एक अधिसूचना जारी करके राज्य द्वारा निर्वहन किया जाता है।

माननीय राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना वास्तव में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना है। नगर पालिका अधिनियम की धारा 5 के प्रावधान किसी भी तरह से संविधान के अनुच्छेद 243क्यू से असंगत नहीं हैं, और इसलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि जारी अधिसूचना को अभिखंडित करने के लिए उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप विधिक त्रुटि की है। तुलसीपुर शुगर कंपनी लिमिटेड (सुप्रा)″ के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय पीठ ने कहा है किः-

″वर्तमान मामले में हम अधिनियम की धारा 3 के तहत एक भौगोलिक क्षेत्र को नगर क्षेत्र बनाने की घोषणा करने की राज्य सरकार की शक्ति से चिंतित हैं, जिसके लिए राज्य सरकार को अपने इरादे की सूचना देने के बाद ऐसी घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। जनता के सदस्यों से ऐसा करने और ऐसी कार्रवाई के संबंध में उनके अभ्यावेदन आमंत्रित करने के लिएअधिनियम की धारा 3 के तहत घोषणा करने की राज्य सरकार की शक्ति विधायी है क्योंकि अधिनियम केअन्य प्रावधानों का उस भौगोलिक क्षेत्र पर लागू होगा , जिसे नगर क्षेत्र घोषित किया गया है, अधिनियम की धारा 3 सशर्त विधान की प्रकृति में है। एक गैर-न्यायिक प्राधिकारी के कार्यों की प्रकृति से निपटते हुए, प्रो. प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा (तीसरा संस्करण) में ए डी स्मिथ पृष्ठ 163 पर देखता हैः-

हालांकि, एक फ़ंक्शन का विश्लेषणात्मक वर्गीकरण ऑडी अल्टरनेटम पार्टम नियम के संचालन को छोड़कर एक निर्णायक

कारक हो सकता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि अंग्रेजी कानून में अधीनस्थ विधायी साधन बनाने से पहले नोटिस या सुनवाई की आवश्यकता नहीं होती है जब तक कि मूल अधिनियम ऐसा प्रावधान न करे। इसलिए, हमारा विचार है कि मैक्सिम 'ऑडी' आवश्यक निहितार्थ द्वारा मामले पर 'अल्टरनेटम पार्टम' लागू नहीं होता है। इसलिए, हमारा विचार है कि एक अधिसूचना अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत जारी किया गया जो किसी भौगोलिक क्षेत्र पर अधिनियम को लागू करने का प्रभाव रखता है, एक सशर्त कानून की प्रकृति में है और इसे अधीनस्थ कानून के एक टुकड़े के रूप में चित्रित नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि वादी का यह तर्क कि राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत की गई घोषणा जिसमें उस क्षेत्र को अमान्य घोषित किया गया है जिसमें वादी का चीनी कारखाना तुलसीपुर शहर क्षेत्र के एक हिस्से के रूप में स्थित है, अमान्य है। ″

सुंदरजस कन्यालाल भाटीजा (सुप्रा) में, एक प्रस्तावित अधिसूचना ने कल्याण, अंबरनाथ, डोंबिवली और उल्हासनगर के नगरपालिका क्षत्रों को मिलाकर ″कल्याण निगम″ के गठन का प्रस्ताव दिया। राज्य सरकार ने उल्हासनगर को प्रस्तावित निगम से बाहर करने की अधिसूचना जारी की। उच्च न्यायालय ने पाया कि उल्हासनगर को बाहर करने का निर्णय सरकार द्वारा अचानक और तर्कहीन तरीके से लिया गया था। हालांकि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी है :-

पीठ ने कहा, मामले पर वापस आते हुए हम पाते हैं कि निगम के गठन के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता के बारे में उच्च न्यायालय के निष्कर्ष में न तो तर्क और न ही विधि का समर्थन है यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अधिनियम के अंतर्गत निगम की स्थापना में सरकार का कार्य न तो कार्यकारी है और न ही प्रशासनिक। अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता का यह कहना सही था कि यह वास्तव में विधायी प्रक्रिया है। सांविधिक कर्तव्यों के निर्वहन में सरकार पर कोई न्यायिक दायित्व नहीं डाला जाता है। एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है? यदि उनका अनुपालन किया जाता है, तो न्यायालय और कुछ नहीं कह सकता है। वर्तमान मामले में सरकार ने प्रस्तावित

अधिसूचना द्वारा प्रस्ताव प्रकाशित किया और प्राप्त अभ्यावेदनों पर भी विचार किया। इसके बाद तत्समय के लिए ही उल्हासनगर को बाहर करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय अंतिम हो गया जब इसे धारा 3 (2) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया। न्यायालय इस तरह के फैसले पर निर्णय नहीं दे सकती। वह उस शक्ति के प्रयोग के लिए मानदंड निर्धारित नहीं कर सकती है। यह ″उनकी न्यायसंगत तत्परता ″ को भी प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है।″राजस्थान राज्य बनाम अशोक″ के नवीनतम निर्णय में खेतोलिया और अन्य (सुप्रा), माननीय सर्वोच्च न्यायालय अदालत ने ″चंपा लाई बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, (2018) 16 एससीसी 356″ के मामले को भी ध्यान में रखा जिसके अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना को यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि अनुच्छेद 243 क्यू (2) की आवश्यकता को पूरा करने वाली अधिसूचना के अभाव में, नापासर ग्राम पंचायत को नगर पालिका के रूप में स्तरोन्नत करने में राजस्थान राज्य द्वारा की गई पूरी कवायद संविधान के अंतर्गत प्रदान की गई आवश्यकताओं के साथ असंगत है। नवीनतम निर्णय में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ″चंपा लाल बनाम राजस्थान राज्य (सुप्रा)″ में दिया गया निर्णय, जिस पर याचिकाकर्ता की ओर से पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता संविधान की योजना के अनुरूप नहीं हैं और ″परमार सामंत सिंह उम्मेद सिंह बनाम गुजरात राज्य और अन्य″ के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तीन पीठ के फैसले के विपरीत है। (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 138 परमार सामंतसिंह उम्मेदसिंह बनाम गुजरात राज्य और अन्य (सुप्रा) के उपरोक्त मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि :-

> “19. विधानमंडल से संबंधित विधि बनाने के संबंध में संविधान में प्रदान किए गए सक्षम प्रावधानों के आलोक में सक्षम विधानमंडल, अर्थात राज्य विधानमंडल की शक्ति को प्रतिबंधात्मक व्याख्या के माध्यम से कम नहीं किया जा सकता है, जैसा कि तर्क दिया गया है।अपीलकर्ता संघीय ढांचे में राज्य विधानमंडल, विशेष रूप से स्थानीय सरकार के मामले में, स्थानीय निकाय के आधार पर पर्याप्त सीटें के लिए आरक्षण को अपनाने के लिए सक्षम है। “

नवीनतम निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना है कि नगर पालिका को नगर निगम में स्तरोन्नत करने के लिए राज्य द्वारा जारी अधिसूचना विधि है, इसलिए, ऑडी-अल्टरम पार्टम नियम के सिद्धांतों को उस पर लागू नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 243- थ में उपयोग किए गए सटीक शब्दों को लेना उचित है, जो निम्नानुसार पढ़ता हैः -

243 थ. नगरपालिकाओं का गठन

(1) प्रत्येक राज्य में, इस भाग के उपबंधों के अनुसार, --

(क) किसी संक्रमणशील क्षेत्र के लिए, अर्थात्, ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणगत क्षेत्र के लिए कोई नगर पंचायत का (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) ;

(ख) किसी घुतर नगरीय क्षेत्र के लिए नगरपालिका परिषद् का ; और

(ग) किसी वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम का, गठन किया जाएगा :

परंतु इस खंड के अधीन कोई नगरपालिका ऐसे नगरीय क्षेत्र या उसके किसी भाग में गठित नहीं की जा सकेगी जिसे राज्यपाल, क्षेत्र के आकार और उस क्षेत्र में किसी औद्योगिक स्थापन द्वारा दी जा रही या दिए जाने के लिए प्रस्तावित नगरपालिक सेवाओं और ऐसी अन्य बातों को, जो वह ठीक समझे, ध्यान में रखते हुए, लोक अधिसूचना द्वारा, औद्योगिक नगरी के रूप में विनिर्दिष्ट करे।

(2) इस अनुच्छेद में, ''संक्रमणशील क्षेत्र'', ''लघुतर नगरीय क्षेत्र'' या ''वृहत्तर नगरीय क्षेत्र'' से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे राज्यपाल, इस भाग के प्रयोजनों के लिए, उस क्षेत्र की जनसंख्या, उसमें जनसंख्या की सघनता, स्थानीय प्रशासन के लिए उत्पन्न राजस्व, कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन की प्रतिशतता, आर्थिक महत्व या ऐसी अन्य बातों को, जो वह ठीक समझे, ध्यान में रखते हुए लोक अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

19. 1994 में संविधान के 74वें संशोधन के बाद 28.12.1994 से यूपी नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 3 में एक संशोधन किया गया, जो इस प्रकार हैः

निगम अधिनियम, 1959, जो निम्नानुसार पढ़ा जाता हैः -

"3. बड़े शहरी क्षेत्र की घोषणा _

(1) संविधान के अनुच्छेद 243- थ के खंड (2) के अधीन अधिसूचना में राज्यपाल द्वारा विनिर्दिष्ट कोई क्षेत्र, ऐसी

सीमाओं के साथ जो उसमें विनिर्दिष्ट की गई हैं, एक शहर के रूप में जाना जाएगा, ऐसे नाम से, जो विनिर्दिष्ट करे।

(2) जहां, पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243-क्यू खंड(2) के अंतर्गत राज्यपाल किसी शहर में किसी क्षेत्र को सम्मिलित करता है, ऐसा क्षेत्र इस प्रकार सभी अधिसूचनाओं, नियमों, विनियमों, उपनियमों, आदेशों और आदेशों के अधीन हो जाएगा। इस या किसी अन्य अधिनियमन के अंतर्गत जारी किए गए या किए गए निर्देश और शहर में ऐसे क्षेत्र को सम्मिलित करने से ठीक पहले और इस अधिनियम अंतर्गत लगाए गए सभी कर, शुल्क पूर्वोक्त क्षेत्र में लगाये और एकत्र किया जाएंगे और जारी रहेंगे । ″इसी तरह का एक सवाल 'नरेंद्र सिंह राणा बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य' (सुप्रा) के मामले में भी उठा, जिसमें याचिकाकर्ता ने एक विविध रिट आवेदन दायर करके चुनौती दी और साथ ही जनहित याचिका दायर की, जिसमें ग्राम पंचायत - नानकमता को जिला उधम सिंह नगर में स्थित नगर पंचायत के रूप में अधिसूचित करने के लिए जारी अधिसूचना सम्मिलित थी। इसमें दिए गए बिंदु भी इस मामले में याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए कथनों के समान हैं। इस न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अर्थात् मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने निम्नानुसार निर्णय दिया है: -

> ″34. अब, हमें दिनांक 10.09.1986 के सरकारी आदेश पर आधारित तर्क पर ध्यान देना चाहिए। यह सच है कि उत्तर प्रदेश राज्य में 73वें संशोधन से बहुत पहले, जिसका उत्तराखंड राज्य कभी हिस्सा था और जिसके आदेशों का पालन राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के संदर्भ में किया जाता है, यह निर्धारित किया गया था कि एक स्थानीय निकाय को अपग्रेड किया जाए। एक स्तर से दूसरे स्तर तक, इस मामले में इसे नगर पंचायत बनाने के लिए, पहाड़ी क्षेत्र की आबादी कम से कम 10,000 और मैदानी क्षेत्र की आबादी कम से कम 20,000 होनी चाहिए। आदेश में क्षेत्र के निवासियों की वार्षिक आय पर भी विचार किया गया है,

जो कि 30,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए; क्षेत्र के 75 प्रतिशत लोगों को अपनी आय गैर कृषि स्रोतों से प्राप्त करनी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि, यदि ये विचार निर्णायक और ठोस हैं, तो याचिकाकर्ताओं के पास मामला हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई विवाद नहीं है कि प्रश्न में क्षेत्र की जनसंख्या क्रमशः 10,000 और 20,000 से कम है। लेकिन, वर्ष 1994 में संविधान में 73वें संशोधन के आने के बाद स्थिति में आमूल-चूल परिवर्तन आ गया। ऐसा हम इस कारण से कहते हैं कि क्षेत्रों को नगर पंचायत के रूप में अधिसूचित करने के मानदंड, जिनसे हम इन मामलों पर चिंतित हैं, अनुच्छेद 243Q के उप-अनुच्छेद 2 में दृढ़ता से अंतर्निहित हैं। वे राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून, अर्थात् उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, में भी परिलक्षित होते हैं, जैसा कि धारा 3 में निहित है। मानदंडों का एक मात्र अवलोकन, जैसा कि अधिनियम की धारा 3 के साथ पढ़े जाने वाले उप-अनुच्छेद 2 में दर्शाया गया है, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करें कि मानदंड, जो वर्ष 1986 के पहले के सरकारी आदेश में शामिल थे, संविधान और अधिनियम में बताए गए मानदंडों के साथ स्पष्ट रूप से असंगत हैं। यद्यपि जनसंख्या को एक मानदंड के रूप में दर्शाया गया है, न तो संविधान और न ही विधायिका का इरादा है कि वर्ष 1986 के सरकारी आदेश में उल्लिखित सीमा का निर्णायक मूल्य बना रहेगा, जैसा कि मैंने सरकार से जुड़ने की मांग की थी। आदेश देना। यह निश्चित रूप से एक प्रासंगिक पहलू है; लेकिन, विभिन्न अन्य पहलुओं के साथ-साथ यह एक प्रासंगिक पहलू है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। हम विशेष रूप से शब्दों की उपस्थिति पर जोर देते हैं "ऐसे अन्य कारक जिन्हें राज्यपाल अनुच्छेद 243-क्यू (2) और धारा 3 दोनों में उपयुक्त समझ सकते हैं"। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, तीन कारक, जो 1986 के सरकारी आदेश से प्रभावित होकर हम पर प्रभाव डालते हैं, अपने आप में प्रभाव नहीं डाल सकते। जनसंख्या का घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए उत्पन्न राजस्व, गैर-कृषि गतिविधियों में रोजगार का प्रतिशत, आर्थिक महत्व सभी कारक हैं, अन्य कारक तय करते हैं, जिन्हें राज्यपाल ध्यान

में रख सकते हैं, नए मानदंड हैं। हमारा मानना है कि सरकारी आदेश को अनुच्छेद 243-क्यू (2) और अधिनियम की धारा 3 में निहित प्रावधानों के साथ-साथ रखने पर, परिणाम अपरिहार्य है कि उपरोक्त प्रावधानों के चारों कोनों के भीतर बड़ी मात्रा में अक्षांश बनता है। यह निर्धारित करने के लिए राज्य को उपलब्ध है कि अधिनियम के तहत प्रदान किए गए क्षेत्रों के लिए स्वशासन की एक संस्था का गठन किया जाना है या नहीं।

20. याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता 2018 की रिट याचिका (पीआईएल) संख्या 14 में "अभिषेक चंद्र जगूड़ी और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य" के मामले पर भी विश्वाश किया, मुख्य मामला था, जिसे 12.04.2018 को इस न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने एक डिवीजन बेंच का नेतृत्व करते हुए सुनाया था और तर्क दिया था कि इस रिट में चुनौती के अंतर्गत आदेश वैधता थी। हालाँकि, उस विशेष फैसले में यह देखा गया है कि इस न्यायालय की डिवीजन बेंच ने वास्तव में सभी जनहित याचिकाओं को बिना किसी गुणागुण के आधार पर खारिज कर दिया है। उपरोक्त मामले में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा की गई टिप्पणियों को उक्त निर्णय के पैरा 16 में लेना उचित है, जो इस प्रकार हैः -

> "16 अनिवार्य रूप से, ये पहलू सरकारी आदेश में भी परिलक्षित हुए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 234-क्यू (2) में एक संक्रमणकालीन क्षेत्र, एक छोटे शहरी क्षेत्र और एक बड़े शहरी क्षेत्र के गठन के लिए प्रासंगिक इन पहलुओं की गणना की गई है। दूसरे शब्दों में, वही मानदंड भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-क्यू(2) में परिलक्षित होते हैं जो नगर पंचायत के गठन के उद्देश्य से प्रासंगिक हैं। इसे किसी क्षेत्र को छोटे शहरी क्षेत्र का हिस्सा बनाने के संबंध में भी प्रासंगिक घोषित किया जाता है। अंततः, यह वही मानदंड है, जो एक बड़े शहरी क्षेत्र, अर्थात् नगर निगम के गठन के लिए प्रासंगिक के रूप में परिलक्षित होता है। हमारी राय में, मानदंड से जुड़े होने का महत्व अलग-अलग मामलों में अलग-अलग होगा और कोई भी व्यक्तिगत तत्व मामले में दिए गए निर्णय का निर्धारण या विशेष रूप से निर्धारक नहीं होगा। अभियक्त है, जनसंख्या का घनत्व एक मानदंड है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में और यहां तक कि राज्य के भीतर भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होना चाहिए, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में

250 व्यक्ति होने पर जनसंख्या का घनत्व सरकारी आदेश के अनुसार संतुष्ट होगा, जबकि पहाड़ी क्षेत्र में इसे घटाकर 150 व्यक्तियों तक सीमित कर दिया गया है। सरकारी आदेश को हमारे सामने चुनौती नहीं दी गई है, हम सोचेंगे कि कुछ खुली छूट है, जिसकी इजाजत सरकार को इन मामलों में देनी होगी। हालांकि यह सच है कि वे इन तत्वों से अनभिज्ञ या अनदेखी नहीं कर सकते हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-क्यू (2) और सरकारी आदेश में भी अंतर्निहित हैं, जब इसकी न्यायिक समीक्षा की बात आती है, तो यह है यह उचित है कि हम गुणागुण की समीक्षा नहीं कर सकते। "

इस मामले में कई जनहित याचिकाएं दायर की गई है। नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट, जिला उत्तरकाशी में शामिल किये जाने वाले कई क्षेत्रों पर प्रश्न उठाया गया।

21. इस प्रकार, जैसा कि उपरोक्त कहा गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए विभिन्न निर्णयों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि किसी क्षेत्र को अधिसूचित करने और उसे पंचायत के एक चरण से पंचायत के दूसरे चरण में अपग्रेड करने की प्रक्रिया इस मामले की तरह है। नगर पालिका परिषद को नगर निगम में अपग्रेड करना एक विधायी कार्य है। किसी विधायी कार्य को निष्पादित करने में, अधिकारियों की ओर से नोटिस देना और ऑडी अल्टरम और पार्टेम के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक नहीं है।

22. फिर भी, इस मामले में, याचिकाकर्ता को सुना गया है, उसने अन्य ग्रामीणों के साथ अपनी आपत्ति दर्ज की है और उन्हें इस उद्देश्य के लिए गठित समिति द्वारा सुना गया है और वे एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। यह पता लगाना हमारा कर्तव्य नहीं है कि क्या उनके निष्कर्ष न्यायिक पुनर्विलोकन के योग्य हैं क्योंकि इस तथ्य के कारण कि ऐसे विचारों पर विशेषज्ञों द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए, जिनके पास प्रशासन की विशेषज्ञता है, न कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का उपयोग करने वाले न्यायालयों द्वारा।

23. इसकेअतिरिक्त , राज्य अधिकारियों द्वारा दायर किए गए दस्तावेजों में ली गई आपत्तियों के संदर्भ से पता चलाता हैं कि उन्होंने विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है, जो पूरक शपथ पत्र के पृष्ठ संख्या 35 और 36 के 5 वें कॉलम से स्पष्ट होगा, जो निम्नप्रकार हैं :

आपत्ति/सुझाव क्रमांक	प्राप्ति का	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्ति/सुझाव का विवरण	आपत्ति/सुझाव का निस्तारण

	दिनांक			
				सकती है। जहां तक प्रष्न सफाई कर्मचारियों को सफाई हेतु पैसे दिए जाने की है, के संबंध में अवगत कराना है कि सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति/तैनाती नगर निगम द्वारा की जाएगी जिन हेतु नगर निगम के माध्यम से ही वेतन दिया जाएगा। नगर निगम बनने से जंगली क्षेत्र हेतु व्यवसायिक रूप से विस्तार करते हुए पार्क/चिड़ियाघर आदि निर्मित किये जाएंगें तथा नगर निगम बनने से ग्रामीण क्षेत्र को षहरी क्षेत्रों की भांति अन्य महत्वपूर्ण लाभ भी प्राप्त होंगे। जंगली क्षेत्र होने से सम्पूर्ण नगर निगम एक पर्यटन स्थल के रूप में विस्तारकरण होगा जिससे कि स्थानीय निवासियों की आर्थिक/सामाजिक स्थिति मजबूत होगी। अतः आपत्ति तदनुसार निस्तारित की जाती है।
79	03.11.21	समस्त ग्रामवासी/प्रधान ग्राम पंचायत स्वीत	ग्राम सभा की बसावट, भौगोलिक स्थिति नगरीय क्षेत्र से भिन्न है और ग्राम वासी नगर निगम बनने से विभिन्न प्रकार के प्रषासनिक बदलावों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।	भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 243(थ) में दी गई व्यवथा के अनुसार राज्य सरकार किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणगत क्षेत्र के लिए कोई नगर पंचायत या किसी लघु स्तरीय नगर क्षेत्र के लिए नगर पालिा एवं किसी वृहत नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम गठित कर सकती है। अतः संविधान में दी गई षक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा श्रीनगर पालिका को विस्तारित करते हुए नगर निगम बनाए जाने हेतु अधिसूचना संख्या – 1615 (1प्ट(3)/2021–2001(01 घो0)/17 दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 जारी की गई। अतः आपत्ति तद्नुसार निस्तारित की जाती है।
126	03.11.21	अनुराग चौहान/विद्या	आबादी कम होने	षासनादेष संख्या – 93/प्ट(1)2013–1(40) 2010 दिनांक

		सिंह चौहान अलकनन्दा विहार श्रीनगर	एवं राजस्व नुकसान होने व विकास कार्य बाधित होने के दृश्टिगत नगर निगम बनाने में आपत्ति है।	31 जनवरी, 2013 के द्वारा नगर पालिकाओं के वर्गीकरण तथा सीमा विस्तार हेतु मानदण्डों में संषोधन करते हुए जनसंख्या मानकों में षिथिलता प्रदान किये जाने के संबंध में इस कार्यालय के पत्र संख्या– 3224/21–एल0बी0सी0/2020–21 दिनांक 04 सितम्बर, 2021 के द्वारा प्रस्ताव षासन को प्रेशित किया गया है। नगर निगम बनने से एक ओर जहा निगम क्षेत्रान्तर्गत व्यवसायिक गतिविधियां तेज होंगी वहीं राजस्व वृध्दि भी अधिक होगी।
127	03.11.21	अंकित रावत वार्ड सं0–12, डांग श्रीनगर,	नगर निगम मे सम्मिलित किये जाने वाला अधिकांष क्षेत्र जंगल होने तथा ग्राम स्वीत से ग्राम हैड़ी तक कोई बड़ा षिक्षा केन्द्र न होने ग्रामीण क्षेत्र होने व षहरी क्षेत्र का गुण विद्यमान न होने के कारण नगर निगम बनाने में आपत्ति है	ग्रामीण क्षेत्र को नगर निगम मे विस्तारीकरण करने से वन क्षेत्र पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। वन क्षेत्र एवं वन क्षेत्र की भूमि की जो भी प्रषासनिक व्यवस्था पूर्ववत् रहेगी। पालिका क्षेत्र श्रीनगर में वर्तमान में राजकीय मेडिकल कॉलेज, राजकीय पॉलिटैक्निक, राजकीय आई0टी0आई0, हेमवती नन्दन बहुगुणा केन्द्रीय विष्वविद्यालय, राजकीय बेस/संयुक्त चिकित्सालय, अलकनन्दा हाइड्रोपावर जल विद्युत योजना, ऋशिकेष–कर्णप्रयाग रेल लाईन स्टेषन का मुख्य केन्द्र होने के साथ साथ एस0एस0बी0 का प्रषिक्षण केन्द्र, नेषनल इन्स्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एन0आई0टी0) जैसे महत्वपूर्ण परियोजनायें/उच्च षिक्षण संस्थाये एवं केन्द्र स्थापित है, जिस कारण उक्त क्षेत्र नगर निगम बनाने के अनुकूल है। नगर निगम बनने से ग्रामीण क्षेत्रों को षहरी क्षेत्रों की भांति अन्य महत्वपूर्ण लाभ भी प्राप्त होंगे। सम्पूर्ण नगर निगम एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। जिससे कि स्थानीय निवासियों की आर्थिक/सामाजिक स्थिति मजबूत होगी। जहां तक प्रष्न षहरी गुण के होने का है तो अवगत कराना

				है कि उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र राश्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ क्षेत्र है जिससे कि उक्त क्षेत्र में आवागमन हेतु यातायात सुविधाओं से युक्त है। नगर निगम बनने से उक्त क्षेत्र में षहरी क्षेत्रों की भांति ही सुविधायें उपलब्ध होंगी जिससे कि उक्त क्षेत्र में षहरी गुण विद्यमान होंगे। अतः आपत्ति तदनुसार निस्तारित की जाती है।

24. उक्त दस्तावेज़ से यह पता चलता है कि अधिकारियों ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि यदि नगर निगम का गठन किया जाता है, तो यह वाणिज्यिक गतिविधियों को महत्व देगा जिससे राजस्व संग्रह में वृद्धि होगी। इसका वन क्षेत्र पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अधिकारियों ने यह भी ध्यान में रखा कि नगर पालिका के क्षेत्र में सरकारी मेडिकल कॉलेज, सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज, आई. टी. आई., हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के कई अन्य शैक्षणिक संस्थान हैं। यहां ऋषकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन स्टेशन भी बनाया जा रहा है, जहां नगर निगम केंद्र में रहेगा। वहां राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कार्यरत है। अधिकारियों ने इस बात पर भी विचार किया कि नगर पालिका परिषद को अपग्रेड करके नगर निगम का निर्माण कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक शहर की सुविधाएं सुनिश्चित करेगा, जिससे वित्तीय और सामाजिक मजबूती मिलेगी।

25. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि इस मामले में, हालांकि एक विधायी गतिविधि को अंजाम देने के लिए, ऑडी-अल्टरम पार्टम के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक नहीं है, राज्य अधिकारियों ने वास्तव में आपत्तियां मांगी हैं और उचित अवसर देने के बाद पक्षों की सुनवाई की गई और इस बात पर विचार किया गया कि उनकी आपत्ति नगर पालिका परिषद को नगर निगम में अपग्रेड करने के निष्कर्ष पर पहुंचती है।

26. जनसंख्या के दूसरे मुद्दे पर आते हुए, हमारी राय है कि पिछले पैराग्राफ में हमारी चर्चा में इस बिंदु को शामिल किया गया है, लेकिन स्पष्टता के लिए, हम आगे बताएंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार साथ ही इस न्यायालय की डिवीजन बेंच की धारा 243-क्यू (2) के प्रावधानों के साथ, जनसंख्या और जनसंख्या का घनत्व एकमात्र मानदंड नहीं है, जिसके आधार पर, एक नगर पालिका परिषद को

नगर निगम में अपग्रेड किया जा सकता है। इसमें अन्य विचारों का भी उल्लेख किया गया है, और इस मामले में, हम पाते हैं कि राज्य सरकार ने वास्तव में एक अभ्यास किया है और उचित कारणों को दर्ज करने के बाद राज्य के राज्यपाल की इच्छा के तहत जारी अधिसूचना के रूप में इस अधिसूचना को पारित किया है।

27. इस प्रकार, हम विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. पी. उपाध्याय द्वारा उठाए गए प्रारंभिक प्रश्न पर आते हैं कि याचिकाकर्ता को उसके अधिकारों और कर्तव्यों से वंचित करने के एक गुप्त और दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के साथ प्राधिकरण के रंगीन अभ्यास के साथ विवादित अधिसूचना जारी की गई है, क्योंकि नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष. हालाँकि, यह मुद्दा श्री के द्वारा उठाया गया और तर्क दिया गया। पी. उपाध्याय, न तो दलीलों में या बहस के दौरान कोई ठोस बात सामने लाई गई है, न ही यह दिखाने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध है कि राज्य प्राधिकरण ने, वास्तव में, सत्ता के रंगीन प्रयोग में, बेदखल करने के एक गुप्त उद्देश्य के साथ आदेश पारित किया है। वर्तमान याचिकाकर्ता नगर पालिका परिषद, श्रीनगर के अध्यक्ष पद से।

28. इस प्रकार, इस न्यायालय की यह भी राय है कि याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उठाए गए ये सभी मुद्दे इस न्यायालय पर लागू अधिसूचना को कानून की दृष्टि से खराब या संवैधानिक योजना का उल्लंघन घोषित करने के लिए प्रभावित करने में विफल रहेंगे। अलग होने से पहले, हम ″एन″ के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर ध्यान देते हैं। डी. जयाल एवं अन्य बनाम. भारत संघ और अन्य, (2004) 9 एससीसी 362, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, बहुमत के दृष्टिकोण के अनुसार, टिहरी बांध परियोजना के निर्माण को बरकरार रखा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पर्यावरण संरक्षण और विकासात्मक के बीच संतुलन गतिविधियों को केवल ″सतत विकास″ के सिद्धांत का सख्ती से पालन करके ही बनाए रखा जा सकता है। यह एक विकास रणनीति है जो आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करती है। नगर पालिका परिषद को नगर निगम में विकसित करने का यह पहलू, वास्तव में, श्री एस. एन. बाबुलकर, विद्वान महाधिवक्ता द्वारा कहा गया है, जो राज्य की ओर से उत्तराखंड राज्य के ″स्थायी विकास″ का एक हिस्सा है, और इसलिए , न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में केवल हल्का हस्तक्षेप किया जाना चाहिए।

29. मामले के उस दृष्टिकोण से, हमें रिट में कोई गुणागुण नहीं मिलती है आवेदन पत्र; इसलिए, इसे गुण रहित होने के कारण खारिज किया जाता है। 2022 के WPMS संख्या 98 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 13.01.2022 निरस्त किया जाता है।

30. यह नागरिक अवमानना 2022 के डब्ल्यूपीएमएस संख्या 98 में पारित निर्णय के आधार पर 13.01.2022 को हमारे द्वारा पारित अंतरिम के उल्लंघन के लिए शुरू की गई है, हम मानते हैं कि रिट याचिका में कोई गुणागुण नहीं है और हमने भी हमारे द्वारा पारित अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया। इस रिट याचिका में अंतरिम आदेश को रद्द करने के लिए एक आवेदन भी दायर किया गया था, जो पैराग्राफ 29 में की गई टिप्पणियों के आधार पर निपटाया जाता है। मामले को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि नागरिक अवमानना बच नहीं पाएगी, इसलिए नागरिक अवमानना हटा दी गई है।

31. सभी लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाता है।

32. खर्च के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार मिश्रा)